

03 ⁰¹/₂₀

पत्रावली पत्र हुई। कृतवन्त ...
 उध./अनुमति/पीठासीन अधिकारी ...
 /जस्य कार्य में प्रत्यक्ष पत्रावली ...
 कार्यकाल के दिनांक... 16/01/2020
 जो पेश हो।

16 ⁰¹/₂₀

पत्रावली पत्र हुई। कृतवन्त ...
 उध./अनुमति/पीठासीन अधिकारी ...
 /जस्य कार्य में प्रत्यक्ष पत्रावली ...
 कार्यकाल के दिनांक... 30/01/2020
 जो पेश हो।

11 ⁰²/₂₀

ईकनाही पेशी देने पर पत्रावली में दिनांक 09/04/2020 तारीख निपत थी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप मिला तलवी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली निपत पेशी से तलव की जाकर आन पेशा हुई। अधिकारी तहसीलदार खण्डेला से जवाब प्राप्त जो अभिलेख पर लिखा जाता है। प्रकरण में बट्स वकील वादी भुनी गयी। दौरान बट्स वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री फरमान का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजाव रिपोर्ट एवं अधिकारी तहसीलदार खण्डेला के जवाब का अवलोकन किया गया तथा बट्स वकील वादी पर अनुरोध किया गया। चूंकि वादी द्वारा अपने मृतक पिता "भ्रवण कुमार पुत्र भादुराम" का नाम "भ्रवण कुमार पुत्र भादुराम दत्त पुत्र बोदुराम" दुरुस्त करवाने बाबत दस्तगत्व

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादी के पिता भवण
कुमार जसिने रजिस्टर्ड गोदनामा बोटूराम
के गोद गये हुए हैं। ऐसी स्थिति में
वादी के पिता भवण कुमार के गोद पिता
बोटूराम ही समस्त प्रयोजनार्थ काबू नी
पिता होते हैं। अतः उक्त तथ्यों के आलोक
में वादी द्वारा कंछित पुरस्ती स्वीकार किये
जाने योग्य नहीं पाई जाने पर वाद-वादी
स्वार्थ किया जाता है तथा तहसीलदार
खण्डेला को वादी के मृतक पिता भवण
कुमार के विरासत का नामान्तरकरण निपटारा
नुसार दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाता
है। अन्तर्गत पचा डिमी शक्ति हो।
पत्रावली फौजल शुमार दोफर नम्बर से कत
हो तथा कद तहसील दखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 11/02/2020 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

अंतिम

डिक्री मुकदमा इवतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम खण्डेला

व इजालास श्री राजीत सिंह R.A.S.

① सुरेन्द्र सिंह खाला बनाम श्रीधरी लक्ष्मीलकर खण्डेला जिला मीर
 दावा नावत धोषणा, दुरस्ती रिकार्ड (रफ.)

मुकदमा नं. 175 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री राजीत सिंह RAS

व हाजिरी श्री एशराज भावकिया मिनजानिब मुद्दई रुबरु

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद, वादी खारिज भिजा जाता है तथा लक्ष्मीलकर खण्डेला को वादी के सतक पिता भवण कुमार के विरासत का नामाहरकरण नियमानुसार दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

निज मुबलिंग नावत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद नशरह फीसदीमा आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

मसबत मेरे दफ्तर खत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 02 सन 2020 को

जारी की गई।



(राजेश सिंह)
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बेजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			नावत इजराय हुकमनामा		
नावत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		